25/9/24 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उपस्थित हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 25/11/24 को पेश हो।

25/11/24 पत्रावली पेश। अभि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 से 4 के खिलाफ विचार हो चुकी है, बावजूद तामिल दाखिल नहीं। अतः अप्रार्थी सं. 1 से 4 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। बहस अधिवक्ता प्रार्थी एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर सुनी गई। बहस मुताबिक आवेदन रही। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी के हित निहित है। अप्रार्थी सं. 5 द्वारा विवादित भूमि का बेचान करने पर प्रार्थी के हित प्रभावित हो सकते है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 के विवादित भूमि के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत पाबन्द किया जाना उचित है। अतः विवेचना के आधार पर प्रार्थना-पत्र प्रार्थी को स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 1 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित भूमि ख.नं. 713, 718, 754, 755, 756, 757, 758, 786, 787 कुल किता 09 कुल रकबा 9.36 हैक्टर वाके ग्राम कुंगरा तहसील दाखिल खारिज स्वीकार की भूमि पर राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली के साथ कुमार होकर नस्ती करें। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर